

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक—/पटना, दिनांक—
03/नि. प्रशिक्षण डी०एन०एस०-04/2020

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक.),
बिहार, पटना।

विषय :- सहकारिता विभाग अंतर्गत 29 सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों का दिनांक-06.04.2026 से 27.06.2026 तक 12 साप्ताहिक "सहकारी प्रबंध में प्रमाण-पत्रीय पाठ्यक्रम" आयोजित कराये जाने के उपरांत प्रशिक्षण शुल्क की राशि 15,53,412/- (पन्द्रह लाख तिरपन हजार चार सौ बारह रू०) मात्र के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

सहकारिता विभाग अंतर्गत 29 सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों का दिनांक-06.04.2026 से 27.06.2026 तक 12 साप्ताहिक "सहकारी प्रबंध में प्रमाण-पत्रीय पाठ्यक्रम" आयोजित कराये जाने के उपरांत प्रशिक्षण शुल्क की राशि 15,53,412/- (पन्द्रह लाख तिरपन हजार चार सौ बारह रू०) मात्र के भुगतान दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पटना को करने हेतु निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 के अन्तर्गत मांग संख्या-09, मुख्य शीर्ष-2425 सहकारिता, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-003 प्रशिक्षण, उप शीर्ष-0102 विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए अनुदान विस्तृत शीर्ष-20, अन्य प्रशासनिक व्यय विषय शीर्ष-03 प्रशिक्षण व्यय विपत्र कोड-09-2425000030102 राज्य योजना से विकलनीय होगी।

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के कार्यालय के लिए प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, जो राशि की निकासी CFMS के माध्यम से करेंगे। आहरित की गई राशि को NEFT/RTGS के माध्यम से दीप नारायण सिंह, क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पटेल नगर, पटना-800023 शाखा के चालू खाता संख्या-30923505568, आई०एफ०एस०सी० कोड-SBIN0004386 में राशि रू० 15,53,412/- (पन्द्रह लाख तिरपन हजार चार सौ बारह रू०) मात्र जमा करेंगे, इसके लिए महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं संकल्प संख्या-7245 दिनांक-26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।



5. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

6. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति संचिका संख्या-03/नि. प्रशिक्षण डी०एन०एस०-04/2020 के पृष्ठ-129 पर दिनांक-20.08.2026 को प्राप्त है।

7. इस राशि की स्वीकृति सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या-03/नि. प्रशिक्षण डी०एन०एस०-04/2020 के पृष्ठ-130 पर दिनांक-21.08.2026 को प्राप्त है।

ह०/-

(अभय कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक.....३३३...../पटना, दिनांक २१/०८/२६
03/नि. प्रशिक्षण डी०एन०एस०-04/2020

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा बिहार, पटना) एवं निदेशक, दीप नारायण सिंह, क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. सचिव, सहकारिता विभाग बिहार, पटना के निजी सहायक/निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को अभिश्रव सहित/उप सचिव प्रभारी प्रशाखा-03 सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/विपत्र लिपिक कार्यालय निबंधक सं०स०, बिहार, पटना/आईटी० मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.08.26
सरकार के अपर सचिव।